छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

छ.ग. हाट परिसर, महालक्ष्मी क्लाथ मार्केट पण्डरी, रायपुर (छ.ग.), फोन एवं फैक्स : 0771 : 4016500

Website: cghandicraft.cgstate.gov.in, E-mail ID: cghandicrafts@gmail.com

:: निविदा की शर्तें ::

वाहन क्र. सी.जी.–04–एच.ए.–0178

01. वित्तीय निविदा फार्म राशि रू. 200/– का प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर के नाम से जमा कर व्यक्तिगत रूप से कार्यालय छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर दिनांक 12.07.2017 को अपरान्ह 12.00 बजे तक प्राप्त कर सकते है। वित्तीय निविदा फार्म का शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

02. यह निविदा निष्प्रयोजित वाहन क्र. CG-04-HA-0178 टाटा सफारी "जहां है जैसे है" की बिक्री के लिए बुलाई गई है। अवलोकन के लिए वाहन कार्यालय छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर में खड़ी है।

03. निविदाकार उल्लेखित वाहन का अवलोकन कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही वित्तीय निविदा प्रस्तुत करें।

04. वित्तीय निविदा के साथ राशि रू. 10000/– मात्र का अमानत राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के पक्ष में सील बंद लिफाफा में जमा करना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

05. निविदा प्रपत्र दो लिफाफे में लिया जाना उचित होगा।

(अ) प्रथम लिफाफे में अमानत राशि जिसमें लिफाफे के ऊपर अमानत राशि एवं वाहन क्र. अंकित हो साथ ही आवेदक का नाम/पूर्ण पता लिखा होना आवश्यक है।

(ब) दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा प्रपत्र (दर) भर कर लिफाफे के ऊपर "दर पत्रक" एवं वाहन क्र. अंकित हो साथ ही आवेदक का नाम/पूर्ण पता लिखा होना आवश्यक है।

(स) दोनों मुहर बंद लफाफे को एक तीसरे लफाफे में सील बंद कर निर्धारित दिनांक/समयावधि में टेंडर बॉक्स में डालना आवश्यक है।

06. वित्तीय निविदा फार्म में निविदा मूल्य साफ, सुंदर/सुस्पष्ट अंको एवं शब्दों में लिखा जाना अनिवार्य होगा। कांट–छांट युक्त वित्तीय निविदा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

07. निविदाकार द्वारा लिफाफे पर "वाहन क्र. CG-04-HA-0178 की निविदा" अंकित करना आवश्यक है एवं निविदा प्रपत्र केवल स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से कार्यालय छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर में दिनांक 12.07.2017 अपरान्ह 02.00 बजे तक जमा किया जावेगा एवं उसी दिन अपरान्ह 04.30 बजे निविदा खोली जावेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकार या निविदाकार के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

क्रमशः..................02

08. विलंब से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिसकी जिम्मेदारी संबंधित निविदाकार की स्वयं की होगी।

09. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

10. अधिकतम मूल्य दर प्रथम एवं द्वितीय मूल्य वाले निविदाकर्ता की अमानत राशि रोककर शेष की अमानत 07 दिवस के भीतर वापस कर दी जावेगी।

11. निविदा स्वीकार करने या नहीं करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। निविदा अस्वीकार करने की स्थिति में कोई कारण नहीं बताया जायेगा।

12. उच्चतम निविदाकर्ता को कुल कीमत का 50 प्रतिशत राशि तत्काल एवं शेष राशि 07 दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात करते हुए द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाले को राशि जमा करने हेतु निर्देश दिये जाने पर विचार किया जावेगा।

13. निष्प्रयोजित वाहन प्राप्त करने का अधिकार पत्र जारी होने के एक सप्ताह की अवधि में वाहन उठाना पड़ेगा अन्यथा राशि रू. 100/— प्रतिदिन के अनुसार किराया बतौर लिया जायेगा जो कि अधिकतम 05 दिवस तक स्वीकार किया जावेगा। 05 दिवस पश्चात् भी निष्प्रयोजित वाहन नहीं उठाने पर अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी। यदि 20 दिवस में भी वाहन नहीं उठाया जाता है जो सफल निविदाकार द्वारा जमा पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी एवं नये सिरे से निविदा आमंत्रित किया जावेगा।

14. निष्प्रयोजित वाहन की लोडिंग/अनलोडिंग, ट्रांसपोर्ट आदि खर्च निविदाकार के द्वारा वहन की जावेगी।

15. बिना कारण बताएं निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

16. शासकीय वाहन का प्रायवेट वाहन के रूप में पंजीयन सफल निविदाकार को स्वयं कराना होगा तथा उस पर होने वाला समस्त व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा।

17. शासकीय नियमानुसार निविदाकार द्वारा वित्तीय प्रारूप के बिन्दु क्र. 12 में क्रय हेतु प्रस्तावित मूल्य राशि पर प्रभावी टैक्स पृथक से देय होगा।

<u>प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित।</u>

5/7/2017

प्रबंधक (समन्वय)
छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड
रायपुर (छ.ग.)

D:\Saket Sir/Letter 16/112